पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं
गवाह श्री.....
उपस्थित.....
.....
अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 6.11.25
को पेश हो।

6/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। साक्ष्य वादी में वादीया रामीबाई व गवाह मुकेश शर्मा मुआयना के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. को पेश हुए जिन पर इनके बयान कराये गये। वकील वादीया अब और कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए वादीया की साक्ष्य बन्द की गई। पत्रावली बहस मे नियत की गई। पत्रावली बहस के एक पक्षीय बहस में दिनांक 20/11/25 को पेश हो।

6/11/25

20/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया की बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत आ० धारा 188 व 183 आर.टी. एक्ट स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा करसाना की आ० न० 597 रकबा 0.0390 हेक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 5 से 8 तक की संयुक्त स्वामित्व की है जिसमें वादीगण के 2/3 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण 1 से 4 तक ने अवैध निर्माण (बाऊण्ड्रीवाल बनाकर) सीढ़ीया डालकर अवैध कब्जा कर लिया है जिसको हटाया जाने का आदेश दिया जाता है। कब्जा वादीगण को रिपुर्द किया जाने का आदेश दिया जाता है। तथा साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि वादीगण के 2/3 हिस्से की भूमि पर वादीगण के उपयोग उपभोग मे कोई दखल बाधा पैदा नहीं करें स्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश [illegible] किया जाता है। निर्णय सुनाया [illegible] पैमाना शुमार होकर नम्बर [illegible]

20/11/25

उपखण्ड अधिकारी
डूँगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwar Lal Katik
Date: 2026.04.15 12:52:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner